राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांकः–ए.4( )लेखा/राज्य निधि/प्रतिबद्ध/2024–25/641 दिनांकः– 27.03.2025

परिपत्र

बजट प्रबंधन प्रकिया के संचालन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा बजट अनुमान एवं व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, इसकी निरंतरता में परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा वित्तीय प्रबंधन प्रकियाओं का सरलीकरण कर सुगम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आईएफएमएस के अन्तर्गत **बिंदु संख्या 1** के अनुसार सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा Pool बजट के अन्तर्गत होने वाले भुगतान संवेतन, मजदूरी, पेंशन, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन, किराया दर एवं रॉयल्टी व अन्य सभी विस्तृत मदों में (Object Head) BFC Minutes की शर्तों के अनुरूप तथा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बद्ध कर व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं। **बिंदु संख्या 2** के अनुसार कार्यालयावार स्वीकृत पद, सर्विस कैटेगरीवार, कार्मिक की Employee ID, आदि के आधार पर वेतन का आहरण किया जा सकेगा।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नियंत्रणाधीन चिकित्सा संस्थानों के कार्यालयाध्यक्षों सहित कतिपय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पूल बजट के अन्तर्गत बजट की उपलब्धता को देखते हुए कुछ बजट मदों में स्वयं के कार्यालय द्वारा बीएफसी के समय प्रस्तुत किये गये अनुमानों एवं पिछले वर्षों के बजट आवंटन से अप्रत्याशित रूप से अधिक राशि का व्यय किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य/2021 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं साथ ही इस विभाग के परिपत्र क्रमांक ए.4लेखा/राज्यनिधि/प्रतिबद्ध /2022–23/302–20 दिनांक 28.04.2022 एवं 509–650 दिनांक 09.06.2022 द्वारा भी दिशानिर्देश जारी किये गये थे। बजट मदों में वित्तीय अनुशासन एवं समुचित नियंत्रण व्यवस्था (Adequate Control mechanism) बनाये रखने की दृष्टि से उपर संदर्भित परिपत्रों की निरंतरता में समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों के प्रयोजनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा New item यथा चिकित्सा उपकरण एवं मशीनें, A.C, Photocopier, Computer, Printer, वाहन कूलर, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर इत्यादि पर बिना सक्षम स्वीकृति/बजट प्रावधान के व्यय नहीं किया जावें। New Item की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा बीएफसी में प्रदान किये जाने पर ही व्यय किया जाना है।
2. बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा आहण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा राशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जावे जिस हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बीएफसी में स्वीकृत किये गये बजट अनुमानों के अनुसार ही व्यय किये जावें। अत्यावश्यक परिस्थितियों में गैर अनुपातिक (Disproportionate) व्यय आवश्यकता होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर के ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
4. विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा केंद्र/राज्य सरकार एवं अन्य मद से प्राप्त सार्वजनिक धनराशि से क्रय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरएमआरएस की नियमावली वर्ष 2018 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशानिर्देशों की पालना करते हुए किया जावें।
5. बजट नियमावली के अध्याय 8 के पैरा संख्या 8.5 के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारी प्राप्तियों एवं व्यय के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। उक्तानुसार संबंधित कार्यालयध्याक्ष भी उसके अधीन प्राप्तियों एवं व्यय के समुचित नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। अतः सभी कार्यालयाध्यक्ष समुचित बजट नियंत्रण व्यवस्था (Adequate Control Mechanism) स्थापित करें जिससे सार्वजनिक धन के दुरूपयोग को रोका जा सके तथा राजकीय संव्यवहारों में त्रुटियों एवं अनियमितताओं का पता लगाया जा सके, अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किये जा रहे राज्य सरकार/केंद्र सरकार (एनएचएम) से प्राप्त धनराशि के व्यय की पूर्ण समीक्षा सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पूल बजट मदों से राशि आहरित कर आरएमआरएस में पुनर्भुगतान नहीं किया जावें।
7. सुगम पूल बजट का वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही सही एवं विहित उद्देश्यों में ही उपयोग हो। इसे सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के आईएफएमएस एवं अन्य माध्यम में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों का दैनिक रूप से कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी द्वारा समीक्षा किया जाना चाहिए। Disproportionate व्यय होने की स्थिति में बजट नियंत्रण अधिकारी के ध्यान में लाया जाना सुनिश्चित करावे।

8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025–26 में निदेशक जन स्वास्थ्य के पूल बजट से होने वाले भुगतान संवेतन, मजदूरी, पेंशन, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया दर एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मदों (Object Head) के संबंध में विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें, जिसके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त संदर्भित परिपत्रों की निरन्तरता में समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन कार्यालयों, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें, इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों की बैठक बुलाकर यथोचित निर्देश जारी करे तथा सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्यालय द्वारा बिना प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के कोई व्यय नहीं किया जावें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिना प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के अप्रत्याशित एवं गैर अनुपातिक रूप से व्यय किया जाता है तो उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज0जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(ग्रुप–2), राजस्थान जयपुर।
5. .समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवायें, जोन।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ कार्यालयों (BCMO , CHC) से आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में संवेतन, मजदूरी, पेंशन, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया दर एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त सभी विस्तृत मदों में मांग अनुरूप सूचना इकजाई कर निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित करगें तथा निदेशालय से प्राप्त स्वीकृति अनुसार समानानुपात में अधिनस्थ कार्यालयों को पूल बजट से राशि आहरण किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा।
9. प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र हीराबाग जयपुर।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सैटेलाइट अस्तपाल।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
12. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.एस टीबीडीटीसी अजमेर।
13. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
14. मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।
15. राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
16. राजकीय सामान्य चिकित्सालय पुरानाघाट जयपुर एवं जोधपुर।
17. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स एन फार्मेसी, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
19. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-rj@nic.in>.
Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date :26-03-2025 04:24:10